(9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी- मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2023/217

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज.
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर बून्दी राज.
3. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर(उपनिवेशन) विभाग बून्दी राज.
4. राजस्थान राज्य जर्ये पटवारी हल्का आमली तहसील व जिला बून्दी राज.

– अपीलांटगण

बनाम

1. रामकरण आ. उदा जाति मीणा निवासी ग्राम पाकलपुरिया तहसील व जिला बून्दी राज.
2. धर्मराज आत्मज रामकरण दत्तक पुत्र हजारीलाल मीणा जाति मीणा निवासी पाकलपुरिया तहसील व जिला बून्दी राज.
3. रामरतन आ. उदा जाति मीणा निवासी पाकलपुरिया तहसील व जिला बून्दी

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वकील बहस– 1. श्री भवंरलाल गूर्जर पैरोकार सरकार, अपीलांट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 1 से 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक 22.08.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 122/2018(पुराना 44/दावा/11) मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 आपस में सगे भाई है और वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 5 व वादी संख्या 1 के स्व0 भाई हजारीलाल

का गोदपुत्र है तथा स्वर्गीय अपने बाबा उदा जी की छोड़ी हुई सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कृषि भूमि खसरा संख्या पुराना 26 मि0 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा ग्राम पाकलपुरिया तहसील व जिला बून्दी में स्थित है जिसका नया खसरा संख्या 41/253 रकब 06 बिस्वा, खसरा सख्या 42 रकबा 03 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 43/235 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 42/236 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 45/229 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 45/230 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 58 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 45/231 रकबा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 45/232 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा जर्ये मिसल संख्या 232 सन् 1965 से दिनांक 16.07.1965 को राजस्थान कोलोनाईजेशन(उपनिवेशन नियम 1957) के वादी संख्या 2 व 5 के पिता वादी संख्या 2 के बाबा स्व0 उदा जी आत्मज फीता जी मीना निवासी ग्राम पाकलपुरिया रूपया 1751/– उसकी कीमत निर्धारित करके किश्ते की थी और कब्जा सम्भला दिया था। स्व0 उदा की मृत्यु के बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा बकाया रकम जमा करके रसीदे प्राप्त करते रहे। तारीख 07.04.1976 को स्व0 उदा जी के नाम का पटटा भी जारी किया गया। जिसकी फोटो स्टेट पेश है, असल बाद में पेश होगा। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने उक्त पटटा के आधार पर नामान्तकरण नहीं खोला है। वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित भूमि के बाबत वादीगण ने कई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये, किन्तु आवंटन की पत्रावली नहीं मिल रही है और वादीगण को धारा 91 ट्रेसपासर मानकर नोटिस जारी करके प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधीनस्थ तहसीलदार बून्दी प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 4 पेनल्टी के रूप में काफी तादाद में रकम वसूल कर ली है जिसका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि पटवारी द्वारा ऐसी रसीद दी जाती है जिसमें रकम तारीख पढ़ने में नहीं आती है। वादीगण के खिलाफ धारा 91 के प्रावधान ही लागू नहीं होते है, क्योंकि विवादित भूमि उपनिवेशन क्षेत्र की है। वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 के पिता व वादी संख्या 2 के बाबा स्व0 उदा आत्मज फीता व उसके बाद उनके पुत्र, पौत्र का 45–46 साल से लगातार कब्जा चला आ रहा है, जो 30 वर्ष से अधिक का कब्जा मुखलफाना होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 स्वतः ही मालिक बन चुके है। बेदखली की अवधि समाप्त हो चुकी है, किन्तु पट्टा जानबूझकर खाते में दर्ज नहीं की है और वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 को अपने अधिकारों से वंचित कर रखा है, जैसा कि राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय आर.आर.डी. 1991 पेज 1 पर अंकित किया है। हालांकि राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर ट्रेसपासरो को नियमन करने के लिये आदेश जारी किये गये है। जब वादीगण ट्रेसपासर की तारीफ में नही आते है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को कई बार निवेदन किया, किन्तु कोई ध्यान

नहीं दिया। जब तारीख 21.07.2010 को धारा 80 जा0फो0 का रजिस्टर्ड नोटिस दिया जो तारीख 26.07.2010 को प्राप्त हो गया, फिर भी भूमि खाते दर्ज नहीं की, आवंटन की पत्रावली की नकल का प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिस पर पत्रावली नहीं मिलना जाहिर किया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न है। वाद कारण अन्तिम बार तारीख 24.07.2010 को वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी संख्या 5 वादी बनने के लिये तैयार नहीं होने से प्रतिवादी बनाया गया है। अन्त में वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के खिलाफ खातेदारी घोषणा की व दौरान मुकदमा बेदखल नहीं करने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान किए जाने व राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार दर्ज किए जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2021 को वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 5 प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलार्थी की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील की विवादित विषयवस्तु कृषि भूमि का रेस्पोडेन्टगण के पिता उदा आत्मज फीता के नाम दिनांक 16.07.1965 को आंवटन हुआ था तथा दिनांक 27.11.1972 को उक्त आवंटन निरस्त हो गया था इसके बावजूद रेस्पोडेन्टगण के द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करके दिनांक 07.04.1976 को पट्टा प्राप्तकर लिया गया, उक्त तथ्य प्रमाणित होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी कर वाद दिनांक 26.04.2021 को डिक्री कर दिया गया है। उपखण्ड न्यायालय बून्दी के द्वारा पारित निर्णयों की समीक्षा के दौरान उक्त शीर्षक प्रकरण के निर्णय में अनियमितता पाये जाने पर माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के द्वारा अपील पेश करने के निर्देश प्राप्त होने के बाद उक्त सन्दर्भ में कानूनी परामर्श कर अन्दर अवधि अपील पेश की गई है, इसलिये दिनांक 26.04.2021 से अब तक देरी को क्षमा किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर होना कानूनन आवश्यक है, इसलिये नैसर्गिक न्याय के नियमों की पालना के अनुक्रम में देरी को क्षमा किया जाना बहुत जरूरी है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किए जाने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया तथा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के आंवटन आदेश के अनुसार आवंटन राशि जमा किये जाने के उपरांत दिनांक 07.04.1976 को खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा वैधानिक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री पूर्णतया वैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय में मूलवाद में अपीलांट प्रारंभ से ही पक्षकार रहे है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद की अपीलांट को प्रारंभ से ही जानकारी रही है। इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण भी

अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा किए जाने योग्य नहीं है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 वस्तुस्थिति विधान व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2021 को वाद निर्णित करते समय प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा साक्ष्य को अनदेखा कर जल्दबाजी में निर्णय कर दिया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टगण के द्वारा अपने वाद में उक्त भूमि दिनांक 16.07.1965 को स्वर्गीय उदा आत्मज फीता जी के नाम आवंटित होने तथा दिनांक 07.04.1996 को पट्टा जारी किए जाने का कथन किया गया है परन्तु वादीगण के द्वारा आवंटन दिनांक 16.07.1965 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी द्वारा दिनांक 27.11.1972 को आदेश जारी कर निरस्त कर दिया गया है। अपीलांटगण के द्वारा उक्त तथ्यों को जवाब दावा में भी अंकित किया गया था, इसके अलावा उक्त तथ्य मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में भी प्रकट हुए, इस प्रकार आवंटन दिनांक 16.07.1965 को खारिज होने के उपरांत रेस्पोडेन्टगण द्वारा राजस्व अधिकारी के समक्ष मिथ्या तथ्य पेश करते हुए दिनांक 07.04.1976 को प्राप्त किये गये पट्टे का कोई कानूनी महत्व नहीं होने के तथ्य की अनदेखी कर दिनांक 26.04.2021 को पारित किया गया निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। दिनांक 16.07.1965 को किया गया आवंटन माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी के द्वारा दिनांक 27.11.1972 को निरस्त कर देने तथा आवंटन निरस्त होने के तथ्य को छुपाकर दिनांक 07.04.1976 को राजस्व अधिकारियों के समक्ष मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर प्राप्त किये गये पट्टे के आधार पर विवादित भूमि में रेस्पोडेन्ट को स्वत्व सम्बंधी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। यदि वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेन्टगण दिनांक 27.11.1972 को माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी द्वारा पारित निर्णय को अपील के माध्यम से निरस्त करवाकर ही प्राप्त कर सकते है। अविधिक प्रकिया के तहत रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार के कानूनी अधिकार नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। भूमि वर्तमान में सिवायचक भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा राजकीय भूमियों में अंतिक्रमण होने पर राज्य सरकार को धारा 91 के तहत

अतिकमी होना मानते हुये कार्यवाही करने के अधिकार है, इस प्रकार उक्त तथ्यों की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पाकलपुरिया तहसील बून्दी की खसरा नम्बर 26 मिन रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा दिनांक 16.07.1965 को जर्ये मिसल संख्या 232 सन् 1965 राजस्थान कॉलोनाईजेशन आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत उदा आत्मज फीता मीणा निवासी पाकलपुरिया को 1751/– रूपये कीमत निर्धारित करके आवंटित की गई थी। आवंटी उदा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त रहा। वादग्रस्त आराजी की आवंटन राशि जमा करवाने पर दिनांक 07.04.1976 को पट्टा जारी कर दिया। वादग्रस्त आराजी उदा को आवंटित किए जाने के बाद गैर खातेदारी में दर्ज की गई। सम्पूर्ण आवंटन राशि जमा करवाने के बावजूद भी वादग्रस्त आराजी नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 01.02. 1976 के द्वारा सिवायचक दर्ज कर दी गई। उदा की मृत्यु के पश्चात वादीगण रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 16.07.1965 को आज तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत आवंटन आज भी प्रभावी है। दिनांक 19.03. 1976 को वादग्रस्त आराजी का खातेदारी पट्टा जारी किए जाने की अनुशंशा की गई है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 07.06.2002 में भी खातेदारी अधिकार प्रदान करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया गया है तथा वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा होने का कथन स्वीकृत किया गया है। वादग्रस्त आराजी का विधि अनुसार आवंटन किया गया है। सम्पूर्ण आवंटन राशि जमा करवाई जा चुकी है। खातेदारी पट्टा जारी किया जा चुका है। वादीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पूर्णतः पालना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की ओर से जवाबदावा पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा दस्तोवजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रकियात्मक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप

किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

11. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पाकलपुरिया तहसील बून्दी के खसरा नम्बर 26 मि. रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा भूमि को अपने बाबा उदा की आवंटनशुदा भूमि होने का कथन किया है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 से 2047 के अनुसार प्रश्गनत खसरा नम्बर 26 मि. के नवीन खसरा नम्बरान 41/253 रकबा 6 बिस्वा, 42 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 43/235 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 42/236 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 45/229 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 45/230 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 58 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, 45/231 रकबा 3 बीघा, 45/232 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा बने होना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–13 में सनद् अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन(सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त 9 के अधीन उदा पुत्र फीता को ग्राम पाकलपुरिया की खसरा संख्या 26 मि. रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श 14 लगायत 17 विक्रय की बकाया रसीदें है जिनमें उदा पुत्र फीता द्वारा खसरा नम्बर 26 मि. रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा के विक्रय के एवज में राशि जमा करवाया जाना उल्लेखित है। प्रदर्श–11 कार्यालय तहसीलदार बून्दी द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3111 दिनांक 19.04.2012 में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बर 26मि. की रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा भूमि उदा की आवंटनशुदा भूमि होने तथा आवंटी उदा को प्रश्नगत आराजी की खातेदारी सनद जारी होने का उल्लेख किया गया है। प्रदर्श–10 जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2028 से 2047 के अनुसार वादग्रस्त आराजी उदा पुत्र फीता की गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मिसल संख्या 232/1965 दिनांक 16.07.1965 के द्वारा वादीगण रेस्पोडेन्टगण के पिता उदा को कीमतन आवंटित हुई है। उदा को आवंटनशुदा भूमि का दिनांक 07.06.1976 को पट्टा जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 16.07.1965 को चुनौती दिए जाने के सम्बंध में कोई दस्तोवज/साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नही किया है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 16.

07.1965 आज भी प्रभावी है। जहां तक अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 16.07.1965 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी के आदेश दिनांक 27.11.1972 द्वारा निरस्त किए जाने का प्रश्न है, परन्तु अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.11.1972 में आवंटन निरस्त किए जाने का कोई आदेश अंकित नहीं है, तत्पश्चात की आदेशिका दिनांक 20.02.1976 में क्रेता को बकाया राशि जमा करवाने हेतु आदेशित किया जाना अंकित है तथा इसी आदेशिका दिनांक 20.02.1976 पर क्रेता द्वारा राशि जमा करवाए जाने तथा जमा राशि का विवरण सहित राशि जमा होने का अंकन है तथा आदेशिका 19.03.1976 में खातेदारी पट्टा जारी किए जाने की अनुशंषा किया जाना अंकित है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 16.07.1965 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी के आदेश दिनांक 27.11.1972 द्वारा निरस्त किया जाना प्रकट नहीं होता है। वादग्रस्त आराजी उदा पुत्र फीता की कीमतन आंवटनशुदा भूमि होना, आवंटन पश्चात वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा करवाया जाना तथा वादीगण रेस्पोडेन्टगण को वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को खातेदार घोषित किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26. 04.2021 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

12. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 122/2018(पुराना नम्बर 44/2011) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 यथावत रखी जाती है।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

14. निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/8/25

(मुख्यालय प्राधिकारी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील न्यायालय कोटा

(17)

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2023/217

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज.
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर बून्दी राज.
3. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर(उपनिवेशन) विभाग बून्दी राज.
4. राजस्थान राज्य जर्ये पटवारी हल्का आमली तहसील व जिला बून्दी राज.

— अपीलांटगण

बनाम

1. रामकरण आ. उदा जाति मीणा निवासी ग्राम पाकलपुरिया तहसील व जिला बून्दी राज.
2. धर्मराज आत्मज रामकरण दत्तक पुत्र हजारीलाल मीणा जाति मीणा निवासी पाकलपुरिया तहसील व जिला बून्दी राज.
3. रामरतन आ. उदा जाति मीणा निवासी पाकलपुरिया तहसील व जिला बून्दी

—रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्याः 122/2018 (पुराना नम्बर 44/2011)

1. रामकरण आ. उदा जाति मीणा निवासी ग्राम पाकलपुरिया तहसील व जिला बून्दी राज.
2. धर्मराज आत्मज रामकरण दत्तक पुत्र हजारीलाल मीणा जाति मीणा निवासी पाकलपुरिया तहसील व जिला बून्दी राज.

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज.
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर बून्दी राज.
3. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलेक्टर(उपनिवेशन) विभाग बून्दी राज.
4. राजस्थान राज्य जर्ये पटवारी हल्का आमली तहसील व जिला बून्दी राज.

(18)

6. रामरतन आ. उदा जाति मीणा निवासी पाकलपुरिया तहसील व जिला बून्दी

—प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 122/2018 (पुराना नम्बर 44/2011) में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.04.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 22.08.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री भंवरलाल गूर्जर तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 122/2018 (पुराना नम्बर 44/2011) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2021 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 22.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

22/8/25

(मुरलीधर परिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा